न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ जिला–अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस.)

वाद संख्या :–01/57/2022 ऑनलाईन नम्बरः–2022/142 प्रवेश तिथिः–15.03.2022

1. भवानी सिंह पुत्र श्री धनसिंह आयु 66 वर्ष।
2. नवल सिंह पुत्र श्री धनसिंह आयु 45 वर्ष।
3. श्रीमती रसाल देवी पत्नी श्री बिजेन्द्र सिंह आयु 50 वर्ष।
4. विक्रम सिंह पुत्र श्री बिजेन्द्र सिंह आयु 35 वर्ष जातियान राजपुत निवासीयान ग्राम जोनेटा तहसील राजगढ जिला अलवर।

.....वादीगण

वनाम्

1. कजोड सिंह पुत्र श्री सुरज्ञान सिंह आयु 35 वर्ष।
2. कमोद बाई पत्नी श्री मदन सिंह आयु 72 वर्ष।
3. केशर बाई उर्फ श्रदा कॅवर पत्नी श्री सम्पत सिंह आयु 80 वर्ष।
4. किलाण सिंह पुत्र श्री चन्दर सिंह आयु 72 वर्ष।
5. गिरवर सिंह पुत्र श्री सुगन सिंह आयु 68 वर्ष।
6. भरत सिंह पुत्र श्री चन्दर सिंह आयु 80 वर्ष।
7. लाल सिंह पुत्र श्री चन्दर सिंह आयु 70 वर्ष।
8. उषा कॅवर बेवा श्री देवी सिंह आयु 73 वर्ष।
9. नुदित सिंह पुत्र देवी सिंह आयु 50 वर्ष।
10. प्रशान्त सिंह पुत्र श्री देवी सिंह आयु 48 वर्ष।
11. विक्रान्त सिंह पुपत्र श्री देवी सिंह आयु 45 वर्ष।
12. दिग्विजय सिंह पुत्र स्व0 श्री राजेन्द्र सिंह आयु 32 वर्ष।
13. गोपाल सिंह पुत्र श्री फतेह सिंह आयु 56 वर्ष।
14. रविन्द्र सिंह पुत्र श्री फतेह सिंह आयु 48 वर्ष जातियान राजपूत निवासीयान ग्राम जोनेटा तहसील राजगढ जिला अलवर।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ।

.....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
उपस्थित : 1. श्री सीताराम वशिष्ठ एड0– वादी

–:निर्णयः– दिनांक 07/01/2025

1. आज यह पत्रावली अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी द्वारा एक दावा बाबत् इस्तकरारहक्क हाजा न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा संख्या 152/0.26 वाके ग्राम जानेटा तहसील राजगढ जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त आराजी के सम्वत् 2046 से पूर्व गत खसरा संख्या 124 रकबा 1 बिघा थें। यह भूमि वादीगण के हक में जर्ये इंतकाल संख्या 107 दिनांक 26.06.1982 के मुताबिक आदेश उपजिलाधीश राजगढ द्वारा दिनाक 21.12.1981 की पालना में दर्ज कर प्राप्त हुआ है। तभी से वादीगण बैहैसियत खातेदारी के इस भूमि पर खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण के हक में खसरा संख्या 152 के साथ अय भूमि हाल खसरा संख्या 366/0.26, 342/0.22, 337/592/0.07, 155/0.26, 417/0.14 जिसके गत खसरा संख्या 54, 342, 66, 71, 126, 331, थे का भी जरिये इन्तकाल 107 दिनांक 26.06.1982 के वादीगण के हक में दर्ज हुआ तो वादीगण के हक में दर्ज

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

कर दिया गया किन्तु हाल खसरा संख्या 152/0.26 वाके ग्राम जोनेटा का खातेदारी का इन्द्राज वादीगण के हिस्से के साथ–साथ प्रतिवादीगण के भी हिस्सें में खातेदारी काश्तकार दर्ज किये जाने चाहिए थे जो बन्दोबस्त विभाग सम्वत 2046 के कमर्चारियान ने बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के दर्ज किया है। अन्त में वादीगण के हाल आराजी खसरा संख्या 152/0.26 वाके ग्राम जोनेटा तहसील राजगढ के सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व प्रतिवादीगण के हक मे जो खातेदारी का इन्द्राज हुआ है। उसे दुरूस्त किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किये गये। पैरोकार असालतान वकालतान उपस्थित न्यायालय आये। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 14 वाद सुचना तामील उपस्थित न्यायालय नही आने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. तनकीयात कायम करके सुनाई गई जो निम्नानुसार है–

1. आया वादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 152/0.26 वाके ग्राम जोनेटा तहसील राजगढ जिला अवलर के सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का अधिकारी है। तथा प्रतिवादीगण के हक मे जो खातेदारी का इन्द्राज हुआ है। उसे दुरूस्त करवाया जाकर वादीगण अपनी खातेदारी से दर्ज करवाये जाने का अधिकारी है। .....वादीगण
2. अनुतोष अन्य दादरसी।

4. प्रकरण में वादी की ओर से अपने दावे समर्थन मे निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये–

(1.) जमाबंदी सम्वत् 2046–65 प्रदर्श–1
(2.) जमाबंदी सम्वत् 2070–75 प्रदर्श–2
(3.) जमाबन्दी सम्वत 2033–36 प्रदर्श–3
(4.) नकल मिलान क्षेत्रफल बंदोबस्त सम्वत 2046 प्रदर्श–4
(5.) नकल नामान्तकरण संख्या 107 वाके ग्राम जोनेटा प्रदर्श –5

5. प्रकरण में वादीगण की ओर से साक्ष्य गवाह के रूप मे–

PW-1–श्री भवानी सिंह पुत्र धनसिंह जाति राजपूत।

वादी की ओर से प्रस्तुत उक्त दस्तावेज साक्ष्य बयान लेखबद्व कर किये गयें। जो शामिल पत्रावली है।

6. प्रकरण मे बहस वकील वादी की एकतरफा में सुनी गई। दौरान–ए–बहस विद्वान वकील वादी ने दावे के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा संख्या 152/0.26 वाके ग्राम जानेटा तहसील राजगढ जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त आराजी के सम्वत् 2046 से पूर्व गत खसरा संख्या 124 रकबा 1 बिघा थे। यह भूमि वादीगण के हक में जर्ये इंतकाल संख्या 107 दिनांक 26.06.1982 के मुताबिक आदेशा उपजिलाधीशा राजगढ द्वारा दिनाक 21.12.1981 की पालना गें दर्ज कर प्राप्त हुआ है। तभी से वादीगण बैहैसियत खातेदारी के इस भूमि पर खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण के हक में खसरा संख्या 152 के साथ अय भूमि हाला खसरा संख्या 366/0.26, 342/0.22, 337/592/0.07, 155/0.26, 417/0.14 जिसके गत खसरा संख्या 54, 342, 66, 71, 126, 331, थे का भी जरिये इन्तकाल 107 दिनांक 26.06.1982 के वादीगण के हक में दर्ज हुआ तो वादीगण के हक में दर्ज कर दिया गया किन्तु हाल खसरा संख्या 152/0.26 वाके ग्राम जोनेटा का खातेदारी का इन्द्राज वादीगण

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ
जिला–अलवर

के हिस्से के साथ–साथ प्रतिवादीगण के भी हिस्सें में खातेदारी काश्तकार दर्ज किये जाने चाहिए थे जो बन्दोबस्त विभाग सम्वत 2046 के कमर्चारियान ने बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के दर्ज किया है। अन्त में वादीगण के हाल आराजी खसरा संख्या 152/0.26 वाके ग्राम जोनेटा तहसील राजगढ के सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व प्रतिवादीगण के हक मे जो खातेदारी का इन्द्राज हुआ है। उसे दुरूस्त किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया।

7. पत्रावली का अवलोकन किया गया। दावे मे चाहे गये अनुतोष पर गहन विश्लेषण बावत् न्यायसंगत निर्णयन के लिए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन व मनन के बाद कि मुताबिक साबिक रिकार्ड अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी इस्तकरारहक्क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 188 स्वीकार किया जाता है एवं आराजी खसरा संख्या 152/0.26 वाके ग्राम जानेटा तहसील राजगढ जिला अलवर का हाल खातेदारी इन्द्राज से प्रतिवादीगण का नाम हजफ कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वाके वादीगण के हिस्से की आराजी में किसी भी प्रकार की रूकावट मजाहमत पैदा न करें। साथ ही तहसीलदार राजगढ को आदेश दिया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। इसी अनुसार.पर्चा डिक्री जारी हो।

आज यह निर्णय दिनांक 07.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

(सुश्री सीमा खेतानआर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला- अलवर
सत्यमेव जयते

सत्यमेव जयते

न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ(अलवर)

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस.)

वाद संख्या :–01/57/2022 ऑनलाईन नम्बर:–2022/142 प्रवेश तिथि:–15.03.2022

1. भवानी सिंह पुत्र श्री धनसिंह आयु 66 वर्ष।
2. नवल सिंह पुत्र श्री धनसिंह आयु 45 वर्ष।
3. श्रीमती रसाल देवी पत्नी श्री बिजेन्द्र सिंह आयु 50 वर्ष।
4. विक्रम सिंह पुत्र श्री बिजेन्द्र सिंह आयु 35 वर्ष जातियान राजपुत निवासीयान ग्राम जोनेटा तहसील राजगढ जिला अलवर।

.....वादीगण

बनाम्

1. कजोड सिंह पुत्र श्री सुरज्ञान सिंह आयु 35 वर्ष।
2. कमोद बाई पत्नी श्री मदन सिंह आयु 72 वर्ष।
3. केशर बाई उर्फ श्रदा कॅवर पत्नी श्री सम्पत सिंह आयु 80 वर्ष।
4. किलाण सिंह पुत्र श्री चन्दर सिंह आयु 72 वर्ष।
5. गिरवर सिंह पुत्र श्री सुगन सिंह आयु 68 वर्ष।
6. भरत सिंह पुत्र श्री चन्दर सिंह आयु 80 वर्ष।
7. लाल सिंह पुत्र श्री चन्दर सिंह आयु 70 वर्ष।
8. उषा कॅवर बेवा श्री देवी सिंह आयु 73 वर्ष।
9. मुदित सिंह पुत्र देवी सिंह आयु 50 वर्ष।
10. प्रशान्त सिंह पुत्र श्री देवी सिंह आयु 48 वर्ष।
11. विक्रान्त सिंह पुपत्र श्री देवी सिंह आयु 45 वर्ष।
12. दिग्विजय सिंह पुत्र स्व0 श्री राजेन्द्र सिंह आयु 32 वर्ष।
13. गोपाल सिंह पुत्र श्री फतेह सिंह आयु 56 वर्ष।
14. रविन्द्र सिंह पुत्र श्री फतेह सिंह आयु 48 वर्ष जातियान राजपूत निवासीयान ग्राम जोनेटा तहसील राजगढ जिला अलवर।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ।

.....प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला- अलवर सत्यमेव जयते

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
उपस्थित : 1. श्री सीताराम वशिष्ठ एड0– वादी

–:पर्चा डिक्री:– दिनांक 07/01/2025

आदेश है कि

दावा वादी इस्तकरारहक्क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 188 स्वीकार किया जाता है एवं आराजी खसरा संख्या 152/0.26 वाके ग्राम जानेटा तहसील राजगढ जिला अलवर का हाल खातेदारी इन्द्राज से प्रतिवादीगण का नाम हजफ कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके वादीगण के हिस्से की आराजी में किसी भी प्रकार की रूकावट मजाहगत पैदा न करें। साथ ही तहसीलदार राजगढ को आदेश दिया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

आज यह निर्णय दिनांक 07.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
पत्रावली नम्बर से कम होकर वाद पूर्ति जमा लेख गंडार हो।

(सुश्री सीमा खेतानआर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर